रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 1977 माघ 28, 1898

No 35] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1977/MAGHA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th February 1977

SUBJECT.—*Import of raw wool. Issue of licences to actual users under the free licensing scheme*

No. 13-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the import policy for raw wool indicated against S No 47/V of the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for April, 1976—March, 1977, in terms of which it has been provided that the requirements of actual users will be met on a restricted basis by imports through the State Trading Corporation of India Limited.

2. On a review of the position it has been decided to allow direct import of raw wool to the following categories of actual users engaged in the textile industry.—

(i) Actual users holding industrial licence issued under Item No. 23(3) of the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(ii) Actual users engaged in the manufacture of woollen products and hitherto recognised for release of raw wool under the actual user quota conditions.

(iii) Worsted/woollen spinners holding permits issued by the Textile Commissioner under Clause 3(1) of the Woollen Textile (Production and Distribution/Control) Order, 1962.

(iv) Worsted spinners whose spinning capacity has been regularised but who have not so far been able to receive any quota for imported wool

(v) Hosiery units which are registered exporters.

3 Actual users of the above categories may submit their applications for grant of licence for import of raw wool direct to the regional licensing authorities concerned under whose jurisdiction the applicant falls. The applications may be made in form 'B' given in Appendix 3 to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77 Import licences will be granted for the value applied for, with a validity of 12 months

4. As regards combing units they may submit their applications through the sponsoring authority concerned and licences will be granted for the value recommended by the sponsoring authority with a validity of 12 months. However, if a combing unit happens to be a quota holder as an actual user for raw wool, it may submit the application directly to the licensing authority concerned

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1977

विषय.— कच्चे ऊन का आयात : अबाध लाइसेंस योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस जारी करना ।

सं० 13-आई टी सी (पी एन)/77.—अप्रैल, 1976–मार्च, 1977 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० I) की क्रम सं० 47/5 के सामने निर्दिष्ट किए गए कच्चे ऊन के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकतायें भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से आयातों द्वारा प्रतिबंधित आधार पर पूर्ण की जायेंगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि वस्त्र उद्योग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को कच्चे ऊन के सीधे आयात की अनुमति दी जाए :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23 (3) के अन्तर्गत जारी किए औद्योगिक लाइसेंस के धारक वास्तविक उपयोक्ता ।

(2) ऊनी उत्पादों के निर्माण में लगे हुए और वास्तविक उपयोक्ता कोटा शर्तों के अन्तर्गत कच्चे ऊन की रिहाई के लिए अब तक मान्यता प्राप्त वास्तविक उपयोक्ता ।

(3) ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण/नियंत्रण), आदेश, 1962 की धारा 3(1) के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिटों के धारक ऊनी धागा, ऊन के कर्तक ।

(4) ऊन का धागा कातने वाले जिनकी कातने की क्षमता नियमित नहीं की गई है परन्तु जो आयातित ऊन के लिए अभी तक कोई कोटा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए है ।

(5) होजरी एकक जो पजीकृत निर्यातक है ।

3. उपर्युक्त श्रेणियो के वास्तविक उपयोक्ता कच्चे ऊन के आयात के लिए लाइसेन्स की मंजूरी के लिए अपने आवेदन पत्र उस सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे ही प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र मे वे शामिल है । आवेदन पत्र आयात व्यापार नियत्रण नियम तथा क्रिया-विधि पुस्तक, 1976-77 के परिशिष्ट 3 मे दिए गए प्रपत्र 'ख' मे दिए जा सकते है । आयात लाइसेंस 12 महीनो की वैधता अवधि के साथ आवेदित मूल्य के लिए मजूर किए जायेगे ।

4. धुनाई एककों (कोम्बिंग यूनिट्स) का जहां तक सम्बन्ध है, उन्हें अपने आवेदन पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए और लाइसेस प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य के लिए 12 महीनों की वैधता के साथ मजूर किए जायेंगे । लेकिन यदि कोई धुनाई एकक (कोम्बिंग यूनिट) कच्चे ऊन के लिए वास्तविक उपयोक्ता के रूप में कोटा धारक हो जाता है वह सीधे ही सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977